न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस.

नामान्तरकरण अपील संख्या :– 08/19

अपीलान्ट

1. रूपाराम वल्द रायन्दराम
   जाति जाट निवासी नौखडा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. ग्राम पंचायत नौखडा जरिये सरपंच
2. मगा वल्द सोना
3. आदू वल्द सोना
4. टीकू वल्द रायचन्द
5. रामा वल्द रायचन्द
6. माला वल्द रायचन्द
7. गवरी पत्नी रायचन्द
8. भूरा वल्द हरजी
   जाति जाट निवासी नौखडा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
9. तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट खिलाफ आदेश ग्राम पंचायत नौखडा ग्राम नौखडा के नामान्तरकरण संख्या 477 को स्वीकृत किया गया के विरूद्ध

उपस्थित :–

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 15/01/2021

प्रस्तुत अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता रायचन्द के नाम से खातेदारी की भूमि ग्राम नौखडा में खेत खसरा नम्बर 346, 346/2 की आई हुई थी। अपीलान्ट के पिता का स्वर्गावास होने से का फौतगी का नामान्तरणकरण संख्या 477 राजस्व कर्मचारियों द्वारा खोला गया। उक्त नामान्तरकरण खोलते वक्त अपीलान्ट का नाम रूपाराम के स्थान पर पांचा गलत दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट का सही नाम रूपाराम वल्द रायचन्दराम है जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण में गलती से रूपाराम वल्द रायचन्दराम के स्थान पर पांचा वल्द रायचन्द लिख दिया गया तत्पश्चात् ग्राम पंचायत ने राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से दायर किये गये नामान्तरकरण को हू–ब–हू अपीलान्ट को बगैर सुने स्वीकृत कर दिया गया। अपीलान्ट ने निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 477 ग्राम पंचायत नौखडा के स्वीकृत आदेश में अपीलान्ट का नाम पांचा वल्द रायचन्द के स्थान पर सही नाम रूपाराम वल्द रायचन्दराम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:48:45 IST
Reason: SelfAttested

अपील दिनांक 27.09.2019 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 ता 8 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

रेस्पोडेन्ट संख्या 9 तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट कमांक 2781 दिनांक 29.10.2020 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम नौखडा के खसरा संख्या 346, 346/2 में अपीलान्ट का नाम पांचा वल्द रायचन्द दर्ज है। जबकि आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, बैंक पासबुक, जोबकार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड, शिक्षा सम्बन्धी रेकर्ड में अपीलान्ट का नाम रूपाराम वल्द रायचन्दराम दर्ज है। पांचा वल्द रायचन्द व रूपाराम वल्द रायचन्दराम एक ही व्यक्ति है। तथा अपीलान्ट का नाम ग्राम नौखडा के राजस्व रेकर्ड खसरा संख्या 346, 346/2 में गलत नाम पांचा वल्द रायचन्द के स्थान पर सही नाम रूपाराम वल्द रायचन्दराम किये जाने की अनुशंषा की है।

हमने अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। समस्त रेकर्ड का अवलोकन करने तथा उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

अपील विलम्ब से पेश करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का अपील के साथ पेश किया है। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 477 ग्राम नौखडा के खसरा नम्बर 346, 346/2 में अपीलाण्ट का नाम "पांचा वल्द रायचन्द" के स्थान पर सही नाम "रूपाराम वल्द रायचन्दराम" दर्ज कर स्वीकृत करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 15-1-2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी
(S.D.O) गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:48:45 IST
Reason: SelfAttested